भारत सरकार

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

पशुपालन और डेयरी विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 2145

दिनांक 14 मार्च, 2023 के लिए प्रश्न

डेयरी प्रसंस्करण और अवसंरचना विकास निधि के तहत ऋण सुविधा

2145. श्री अरूण साव:

श्री सुधाकर तुकाराम श्रंगारे:

क्या **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या डेयरी सहकारी समितियों, बहु-राज्यीय डेयरी सहकारी समितियों और दुग्ध उत्पादक कंपनियों को 'डेयरी प्रसंस्करण और अवसंरचना विकास निधि (डीआईडीएफ)' के तहत ऋण सुविधा प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के दौरान, विशेषकर छत्तीसगढ़ राज्य के बिलासपुर, मुंगेली और गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिलों के साथ-साथ महाराष्ट्र राज्य के लातूर और मराठवाड़ा जिलों सहित राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, केरल और तमिलनाडु राज्यों को उक्त संवितरण नहीं किए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) दुग्ध प्रशीतन और प्रसंस्करण संयंत्रों के निर्माण/सुदृढ़ीकरण/आधुनिकीकरण और मूल्यवर्धित उत्पादों के निर्माण की सुविधाओं के लिए सरकार द्वारा उठाए गए नए कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री

(श्री परशोत्तम रूपाला)

(क) और (ख) डेयरी सहकारी समितियों और दुग्ध उत्पादक कंपनियों ने डेयरी प्रसंस्करण और अवसंरचना विकास निधि (डीआईडीएफ) के तहत दिनांक 31.01.2023 तक 1462.22 करोड़ रुपये की ऋण सहायत राशि प्राप्त की है। दिनांक 31.01.2023 तक डेयरी प्रसंस्करण और अवसंरचना विकास निधि (डीआईडीएफ) के तहत संचयी और पिछले तीन वर्षों के दौरान अनुमोदित राज्य-वार परियोजना विवरण **अनुबंध** में दिया गया है।

(ग) डीआईडीएफ एक मांग आधारित योजना है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से प्राप्त जानकारी के अनुसार बिलासपुर, मुंगेली और गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिलों सहित छत्तीसगढ़ राज्य और उस के साथ-साथ महाराष्ट्र के लातूर और मराठवाड़ा जिलों से कोई परियोजना प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं। पश्चिम बंगाल राज्य में पात्रता मानदंडों को पूरा न करने के कारण परियोजना को रद्द कर दिया गया था। इसके अलावा, तमिलनाडु में प्रतिपूर्ति दस्तावेज के अभाव में कोई ऋण संवितरण नहीं हुआ है।

(घ) उपरोक्त के अलावा, यह विभाग अन्य के साथ-साथ दुग्ध प्रशीतन और प्रसंस्करण संयंत्रों तथा मूल्यवर्धित डेयरी उत्पाद विनिर्माण हेतु सुविधाओं के सृजन/सुदृढ़ीकरण/आधुनिकीकरण के लिए निम्नलिखित योजनाएं कार्यान्वित कर रहा है:

1. राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (एनपीडीडी)
2. पशुपालन अवसंरचना विकास निधि (एएचआईडीएफ)

****

अनुबंध

डेयरी प्रसंस्करण और अवसंरचना विकास निधि (डीआईडीएफ) के तहत संचयी और पिछले तीन वर्षों के दौरान अनुमोदित राज्य-वार परियोजना विवरण

31.01.2023 तक

11	**राज्य**	**परियोजनाओं की संख्या**	**(करोड़ रुपये में)**					
			कुल परियोजना लागत		**संस्वीकृत ऋण**		**संवितरित ऋण**	
एनडीडीबी की परियोजनाएं								
			स्थापना के बाद से संचयी	**पिछले 3 वर्षों के दौरान**	**स्थापना के बाद से संचयी**	**पिछले 3 वर्षों के दौरान**	**स्थापना के बाद से संचयी**	**पिछले 3 वर्षों के दौरान**
1	आंध्र प्रदेश	1	97.75	0	78.2	0	34.73	18.13
2	बिहार	1	113.27	0	78.8	78.8	18.81	18.81
3	गुजरात	3	1070.36	599.83	822.59	534.17	229.55	73.25
4	हरियाणा	2	22.78	15.63	18.22	12.5	0.71	0.71
5	कर्नाटक	10	2479.9	1079.06	1344.83	565.25	760.16	136.67
6	केरल	1	15.25	15.25	12.2	12.2	5.42	5.42
7	महाराष्ट्र	1	319.08	0	155.26	0	131.03	25.37
8	पंजाब	4	318.41	84.01	249.77	66.01	180.51	125.49
9	राजस्थान	1	79.33	79.33	59.77	59.77	55.35	55.35
10	तेलंगाना	3	261.51	246.26	156.7	144.5	45.96	45.96
11	तमिलनाडु	4	379.3	0	303.43	303.43	0	0
	कुल	**31**	**5156.94**	**2119.37**	**3279.78**	**1776.63**	**1462.22**	**505.16**
एनसीडीसी की परियोजनाएं								
1	तमिलनाडु	5	307.44	307.44	245.96	245.96	0	0
2	मध्य प्रदेश	1	80.15	80.15	50	50	0	0
	कुल	**6**	**387.59**	**387.59**	**295.96**	**295.96**	**0**	0
सकल योग		**37**	**5544.53**	**2506.96**	**3575.74**	**2072.59**	**1462.22**	**505.16**